

न्यायालय:-राजेन्द्र कुमार अहिरवार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चन्देरी जिला-अशोकनगर (म.प्र.)

दांडिक प्रकरण क्रं.-373/12
संस्थापित दिनांक-17.09.2012
Filling No-235103000992012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :-

वन विभाग चन्देरी जिला अशोकनगर(म.प्र.)।

.....अभियोगी

बनाम

बृजेश कुमार पुत्र काशीराम लोधी, आयु-37 साल, निवासी नयाखेडा
तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)।

.....अभियुक्त

-: निर्णय :-

(आज दिनांक 15.05.2018 को घोषित)

01- अभियुक्त के विरुद्ध वन अधिनियम की धारा 33-ग के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि दिनांक 24.07.2012 को वन विभाग के कक्ष क्रं. पी-191 बीट नयाखेडा गोल पहाडी के पास वन विभाग की भूमि पर बिना किसी वैधानिक अधिकार के संरक्षित वन की भूमि पर कृषि कार्य करके वन अधिनियम की धारा 33-ग के उपबंधों का उल्लंघन करने का अभियोग है।

02- प्रकरण में कोई स्वीकृत तथ्य नहीं है।

03- अभियोजन का पक्ष संक्षेप में है कि दिनांक 24.07.12 को बीट प्रभारी नयाखेडा के साथ जंगल गस्त करते समय वीट नयाखेडा के कक्ष क्रमांक पी-191 में पहुँचे तो देखा कि उक्त भूमि के लगभग 4-5 हे. क्षेत्र में सोयाबीन की फसल बोई पायी गयी तथा मौके पर एक लकड़ी का हल रखा हुआ मिला जिसे जप्त किया गया तथा मौके पर आरोपी बृजेश पुत्र काशीराम नहीं मिला। मौके का पंचनामा तैयार किया। अतिक्रमण स्थल कक्ष क्रं. पी-191 में जीपीएस मशीन से रिडिंग लेकर नक्शा ट्रेस बनाया गया। अतिक्रमक भूमि पर कोई पेड़ पौधे लगे नहीं मिले। विवेचना के दौरान साक्षी साक्षी श्यामसिंह, बलदेव सिंह, नत्थू आदिवासी, रफीक खान, हाकिम सिंह सरपंच एवं मंगल सिंह उप सरपंच नयाखेडा एवं अन्य साक्षी प्रतिपाल सिंह लोधी व नेपाल सिंह लोधी के कथन लेखबद्ध किये गये। मौके पर जप्ती पंचनामा प्रपी-2 बनाकर लकड़ी का हल एवं फसल जप्त की गयी। फसल को आरोपी को ही सुपुर्दगी पर दिया गया। दिनांक 08.09.12 को अभियुक्त के कथन लिये गये। अपराध की पी. ओ.आर लेखबद्ध की गई एवं संपूर्ण अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— अभियुक्त को आरोपित धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध तथ्य एवं परिस्थिति प्रकट होने से अभियुक्त परीक्षण धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत किया गया तथा अभियुक्त ने बचाव में स्वयं को परीक्षित कराकर प्रडी-3 लगायत प्रडी-10 के दस्तावेज प्रस्तुत कर प्रदर्शित किये हैं।

05— प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न है कि :-

1.	क्या अभियुक्त द्वारा 24.07.2012 को वन विभाग के कक्ष क्रं. पी-191 बीट नयाखेडा गोल पहाडी के पास वन विभाग की भूमि पर बिना किसी वैधानिक अधिकार के संरक्षित वन की भूमि पर कृषि कार्य करके वन अधिनियम की धारा 33ग के उपबंधों का उल्लंघन किया ?
----	--

:: सकारण निष्कर्ष ::

06— साक्षी रफीक खान (अ.सा.-2), नत्थू आदिवासी (अ.सा.-3), मंगल सिंह (अ.सा.-4) हाकिम सिंह (अ.सा.-5), नेपाल सिंह (अ.सा.-6) एवं श्याम सिंह (अ.सा.-7) ने अपनी मुख्य साक्ष्य में व्यक्त किया कि आरोपी दिनांक 24.07.12 की स्थिति में नयाखेडा के बीट क्रं. पी-191 की 4-5 है0 वनभूमि पर सोयाबीन व उडद की फसल बोयी गयी थी, जिसका प्रपी-1 का पंचनामा बनाया गया था तथा जप्ती पंचनामा प्रपी-2 के द्वारा फसल जप्त की गयी थी। साक्षी रफीक खान (अ.सा.-2) ने पंचनामा प्रपी-1 व जप्ती पंचनामा प्रपी-2 के बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर पहचान कर प्रमाणित किये। इसी प्रकार साक्षी नत्थू (अ.सा.-3) ने उक्त पंचनामा पर अंगूठा निशानी तथा साक्षी श्यामसिंह (अ.सा.-7) ने जप्ती पंचनामा प्रपी-2 के सी से सी भाग पर तथा मौका पंचनामा प्रपी-1 के बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर पहचान कर प्रमाणित किया है।

07— साक्षी बलदेव लोधी (अ.सा.-1) ने भी अभियुक्त द्वारा वन विभाग से भूमि पौधे लगाने के लिये ली थी, जिस पर 15-20 बीघा भूमि पर अभियुक्त खेती करने लगा। साक्षी ने यह भी व्यक्त किया कि वनविभाग की ओर से कार्यवाही करने डिप्टी रफीक, नत्थू व श्यामसिंह के साथ मौके पर गया था। साक्षी ने मौके का प्रपी-1 का पंचनामा के ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर पहचानकर प्रमाणित किया है। साक्षी ने मौके से सोयाबीन की फसल डिप्टी रफीक द्वारा जप्त किया जाना भी अभियोजन द्वारा दिये गये सुझाव को स्वीकार किया है। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-5 में यह स्वीकार किया है कि उसके समक्ष फसल न तो काटी गयी और न ही जप्त की गयी। किंतु उक्त स्वीकारोक्ति से अभियोजन का मामला संदेहास्पद नहीं हो जाता क्योंकि 8 टना दिनांक के समय फसल खेत में खड़ी हुयी थी जिसे खड़ी फसल के रूप में दस्तावेजों में जप्ती पंचनामा प्रपी-2 व सुपुर्दगीनामा प्रपी-10 में जप्त कर सुपुर्दगी पर दिया जाना दर्शित होता है।

08— साक्षी रफीक खान (अ.सा.-2) अपनी साक्ष्य में आगे व्यक्त किया है कि उनके द्वारा आरोपी की तलाशी ली गयी थी, जिसका पंचनामा प्रपी-4, अतिक्रमण स्थल की जीपीएस रिडिंग लेकर उसका प्रमाण पत्र प्रपी-5, अतिक्रमण स्थल का नजरी नक्शा प्रपी-6, अभियुक्त को गिरफ्तारी पंचनामा प्रपी-8, अभियुक्त के द्वारा किये गये उसके कथन प्रपी-9, अभियुक्त को फसल की सुपुर्दगी पर देने का पंचनामा प्रपी-10 तथा पी.ओ.आर. प्रपी-12 के ए से ए भाग पर पहचान कर प्रमाणित किया है। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-6 में यह प्रकट किया है कि आरोपी द्वारा भूमि सर्वे क्र. 17 के संबंध में रेंज ऑफीसर से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, जबकि अतिक्रामक भूमि संरक्षित वन के रूप में गजट सूचना दिनांक 30.10.1968 में वन भूमि में दर्ज की गयी है जिसके संबंध में आरोपी के द्वारा कोई भी अनापत्ति प्रमाण पत्र वन विभाग से प्राप्त किया जाना दर्शित नहीं है।

09— साक्षी रफीक खान (अ.सा.-2) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-7 में यह प्रकट किया है कि कक्ष क्र. पी-191 के संबंध में कोई विवाद नहीं है किंतु साक्षी द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण की किसी भी अनुक्रम में अतिक्रामक भूमि के संबंध में विवाद न होना स्वीकार कर लेने से यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त द्वारा उक्त वन भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा था। साक्षी की संपूर्ण साक्ष्य के अवलोकन से यही प्रकट होता है कि अभियुक्त द्वारा बीट क्र. पी-191 पर सोयाबीन व उडद की फसल बोकर वन अपराध घटित किया है। इस प्रकार बचाव पक्ष द्वारा उक्त साक्षी के मुख्य कथनों का उसके प्रतिपरीक्षण में खंडन नहीं किया जा सका है।

10— साक्षी नत्थू (अ.सा.-3) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-3 में यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त बृजेश को 15-20 बीघा भूमि रेंज ने पौधे लगाने के लिये दी थी किंतु आरोपी द्वारा भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा था। साक्षी ने यह स्वीकार नहीं किया है कि अतिक्रामक घटना स्थल वाली भूमि अभियुक्त को वन विभाग द्वारा पौधे लगाने के लिये प्रदान की गयी थी। साक्षी ने बचाव पक्ष के सुझाव को पूर्णतः अस्वीकार किया है कि अभियुक्त द्वारा वन विभाग की भूमि पर कब्जा नहीं दिया गया है। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-5 में यह भी प्रकट किया है कि घटना स्थल वाली भूमि के चारों ओर वन विभाग की भूमि लगी हुयी है जिसका बचाव पक्ष द्वारा खंडन नहीं किया गया है जिससे यह दर्शित होता है कि घटना स्थल वाली भूमि वन विभाग की भूमि है।

11— साक्षी मंगल सिंह (अ.सा.-4) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-3 में यह स्वीकार किया है कि उसने घटना स्थल पर प्रपी-7 व प्रपी-13 के दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर नहीं किये थे और न ही वह घटना दिनांक को घटना स्थल पर गया था। इस प्रकार उक्त साक्षी ने पंचनामा प्रपी-7 व पंचनामा प्रपी-13 की कार्यवाही अपने समक्ष होने से इंकार किया है किंतु साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-4 में यह प्रकट किया है कि पंचनामा बनाते समय डिप्टी साहब ने उसे यह बताया था कि आरोपी बृजेश ने रेंज में फसल बोयी है, इस बात की कार्यवाही पर उससे हस्ताक्षर कराये थे, जिससे यह स्पष्ट है कि साक्षी को हस्ताक्षर करते समय दस्तावेजों की पूर्णरूप से जानकारी दी गयी थी, उसके बाद ही साक्षी ने उक्त दस्तावेजों पर

अपने हस्ताक्षर किये थे। इस प्रकार स्वयं साक्षी के स्वीकारोक्ति से ही प्रपी-7 व प्रपी-13 प्रमाणित हो जाते हैं।

12— साक्षी श्यामसिंह (अ.सा.-7) ने अपनी साक्ष्य में व्यक्त किया कि वह दिनांक 24.07.12 को परिक्षेत्र सहायक रफीक खान, बलदेव, नाथूराम आदिवासी के साथ कक्ष क्रं. पी-191 वनक्षेत्र पर गया था, जहां पर मौके पर 4-5 हे0 क्षेत्र में सोयाबीन व उडद की फसल बोयी हुयी पायी थी तथा मौके पर एक लकड़ी का हल पाये जाने पर उसे जप्त किया था। साक्षी ने अभियुक्त के विरुद्ध पी.ओ. आर. रिपोर्ट प्रपी-12 लेखबद्ध करना, अभियुक्त की तलाशी का पंचनामा प्रपी-4, पंचनामा प्रपी-7, नक्शा पंचनामा प्रपी-8 रफीक खान द्वारा बनाया जाना प्रकट किया है। बचाव पक्ष द्वारा उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण में खंडन नहीं किया जा सका। पंचनामा प्रपी-7 में बीट नयाखेडा के कक्ष क्रं. पी-191 गोल पहाडी तलैया के पास वन भूमि पर आरोपी द्वारा सोयाबीन व उडद की फसल बोये जाने का पंचनामा बनाया गया था, जिसे साक्षी रफीक खान (अ.सा.-2), श्याम(अ.सा.-7) एवं हाकिम (अ.सा.-5) ने प्रमाणित किया है।

13— साक्षी प्रतिपाल सिंह (अ.सा.-8) ने पंचनामा प्रपी-7 पर अपने हस्ताक्षर होना मात्र स्वीकार किया है। किंतु उसने पंचनामा की कार्यवाही को अपने समक्ष किये जाने से इंकार किया है तथा अपने कथन प्रडी-2 का ए से ए भाग को भी देने से इंकार किया है। इस प्रकार इस साक्षी द्वारा अभियोजन का कोई समर्थन नहीं किया है तथा वादग्रस्त भूमि पर गेंदा व सफेदा के पौधे लगे होना व्यक्त किया है। किंतु उक्त साक्षी के कथनों की पुष्टि बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रडी-3 लगायत प्रडी-10 से भी नहीं होती है। जिससे उक्त साक्षी की साक्ष्य से अभियोजन का समर्थन न करने पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि प्रकरण के अन्य साक्षियों ने अभियोजन का पूर्णतः समर्थन किया है।

14— साक्षी रफीक खान (अ.सा.-2) ने अभियुक्त बृजेश के भी प्रपी-9 के कथन स्वयं के द्वारा लेना प्रकट किया है तथा अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित भी किया है, जिसमें अभियुक्त बृजेश ने अपनी स्वेच्छया से कथन देना प्रकट किया है तथा वृक्षारोपण हेतु समूह के द्वारा पौधों के बीच में फसल बोना भी स्वीकार किया है। इस प्रकार स्वयं अभियुक्त ने फसल बोने की अपने कथन प्रपी-9 में स्वीकारोक्ति की है। उक्त स्वीकारोक्ति धारा 25 एवं 26 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत भी ग्राह्य है, क्योंकि उक्त स्वीकारोक्ति बिना किसी दबाव के तथा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष नहीं की है, बल्कि वन अधिकारी के समक्ष की है। सुपुर्दनामा प्रपी-10 के द्वारा भी बीट नयाखेडा क्रं. पी-191 गोल पहाडी तलैया के पास की भूमि पर 4-5 हैक्टेयर पर बोयी सोयाबीन व उडद की फसल आरोपी ने वन परिक्षेत्र सहायक रफीक खान को सुपुर्दगी पर देना दर्शित है। बचाव पक्ष की ओर से प्रपी-10 का कोई खंडन नहीं किया गया है।

15— साक्षी रफीक खान (अ.सा.-2), नत्थू (अ.सा.-3), मंगलसिंह (अ.सा.-4), हाकिम सिंह (अ.सा.-5) एवं नेपाल (अ.सा.-6) ने अभियुक्त द्वारा नयाखेडा गांव में वन भूमि पर फसल बोया जाना प्रकट किया है। साक्षी रफीक खान ने घटना स्थल का

जीपीएस मशीन द्वारा वनक्षेत्र भूमि नयाखेडा कक्ष क्रं. पी-191 का प्रपी-5 के द्वारा नक्शा व ट्रेस की कार्यवाही तथा रिडिंग प्रमाण पत्र प्रपी-5 के द्वारा दर्शित है। नक्शा ट्रेस प्रपी-6 व नक्शा प्रपी-11 में भी अतिक्रमण स्थल उक्त भूमि को वन भूमि के रूप में दर्शाया गया है, जिसका बचाव पक्ष की ओर से खंडन नहीं किया गया है। बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज प्रडी-3 में अभियुक्त द्वारा प्रकरण के विवेचक रफीक खान की उप मंडल अधिकारी चंदेरी के समक्ष करना उल्लेखित है।

16— बचाव साक्षी के रूप में स्वयं अभियुक्त बृजेश कुमार लोधी (ब.सा.-1) ने अपनी न्यायालीन साक्ष्य में प्रडी-3 लगायत प्रडी-10 के संबंध में कोई कथन नहीं किया है और न ही उक्त दस्तावेजों को जारीकर्ता व्यक्तियों से प्रमाणित कराया है, जिससे उक्त दस्तावेजों की अंतर्वस्तु प्रमाणित नहीं हुयी है। प्रडी-6 व प्रडी-7 न्यायालय तहसीलदार चंदेरी के राजस्व प्रकरण क्रं. 824बी/21/08-09 में संलग्न पंचनामा व प्रतिवेदन है जिसमें नयाखेडा की भूमि सर्वे नंबर 17 रकबा 4.337 हे० भूमि का सीमांकन व पंचनामा बनाया जाना दर्शित है। बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क किया है कि अभियुक्त को अभियोजन द्वारा तथा कथित भूमि समूह के रूप में वृक्षारोपण हेतु प्रदान की गयी थी जो प्रडी-10 के दस्तावेज जिला पंचायत अशोकनगर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जारी पत्र से भी दर्शित होता है। तर्क के लिये यह मान भी लिया जावे कि अभियुक्त को अतिक्रमण वाली वनभूमि वृक्षारोपण हेतु प्रदान की भी गयी थी, किंतु अभियुक्त द्वारा उस पर कोई वृक्षारोपण न कर सोयाबीन व उडद की फसल उगाकर दी गयी भूमि का अपने हित में निजी लाभ के लिये उपयोग किया जा रहा था।

17— इस प्रकार उपरोक्त विवेचना से प्रमाणित है कि अभियोजन के साक्षी व प्रस्तुत दस्तावेजों से अभियुक्त द्वारा वनभूमि नयाखेडा पी-191 पर सोयाबीन व उडद की फसल बोकर वन अधिनियम की धारा 33ग के अंतर्गत अपराध करना पाया जाता है। अतः अभियुक्त बृजेश कुमार लोधी को वन अधिनियम की धारा 33ग के अंतर्गत सिद्धदोष पाते हुये दोषसिद्ध किया जाता है। जिससे अभियुक्त बृजेश कुमार लोधी पिता काशीराम लोधी, धारा 33ग वन अधिनियम के अंतर्गत तीन माह के सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया जाता है। जुर्माने की राशि अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताया जावे।

18— आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

19— प्रकरण में जप्तशुदा एक हल व सोयाबीन व उडद की फसल पूर्व से बीट नयाखेडा कक्ष क्रं. पी-191 की सुपुर्दगी में है, जिसे सुपुर्दगीदार के पक्ष में भारहीन किया जाता है। अपील अवधि पश्चात उक्त संपत्ति राजसात की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जावे।

20— अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

21— अभियुक्त का सजा वारंट बनाया जावे।

22— अभियुक्त को निर्णय की निःशुल्क प्रति प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर
हस्ताक्षरित,दिनांकित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

राजेन्द्र कुमार अहिरवार
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी, जिला अशोकनगर (म.प्र.)

राजेन्द्र कुमार अहिरवार
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी, जिला अशोकनगर (म.प्र.)